

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023 श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 1278 / वि०स० / संसदीय / 76(सं)-2023 लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

> अधिसूचना प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

<u>अध्याय-एक</u> प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) संक्षिप्त नाम और विस्तार तथा प्रारम्भ अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगा।
- (3) यह दिनांक 29 मार्च, 2023 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9–क का संशोधन 2— उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में धारा 9-क की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :—

- "(5) नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पद, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए नीचे दी गयी रीति से आरक्षित तथा आवंटित किये जाएंगे:—
 - (1) अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन
- (क) इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए इसमें उपबंधित रीति से पृथक-पृथक किया जाएगा।
 - (ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या-
- (एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए इस रीति से अवधारित की जायेगी कि उसमें राज्य में कुल पदों की संख्या का यथाशक्य लगभग वही अनुपात होगा जैसािक राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का अनुपात अथवा राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात, राज्य में ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुसार हो और यदि ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है तो यदि वह आधा हो या भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित की जाने वाली पदों की संख्या होगी।
- (दो) पिछड़े वर्गों हेतु इस रीति से अवधारित की जायेगी कि उसमें राज्य में कुल पदों की संख्या का यथाशक्य लगभग वही अनुपात होगा जैसा कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों का अनुपात, राज्य में ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुसार हो और यदि ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है तो उसे छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या, पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी:

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में कुल पद संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- (तीन) उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु पद संख्या, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों हेतु पदों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी और यदि ऐसी पद संख्याओं का अवधारण करने में अवशेष आता है, तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।
- (चार) महिलाओं हेतु मद (तीन) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या को सिम्मिलित करते हुए राज्य में कुल पदों की संख्या के एक—ितहाई से कम नहीं होगी और ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

स्पष्टीकरण-एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखण्ड में आने वाले शब्द "राज्य का नगरीय क्षेत्र" का तात्पर्य यथास्थिति समस्त नगरपालिका परिषदों अथवा समस्त नगर पंचायतों के नगरीय क्षेत्र से हैं और वे उनमें सम्मिलित हुये समझे जायेंगे।

- (ग) राज्य की नगरपालिका परिषदों के संबंध में :--
- (एक) अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन किसी इकाई के रूप में मण्डलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी मण्डल में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस मण्डल में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त मण्डल के नगरीय

क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का अनुपात उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो :

परन्तु यह कि यदि किसी मण्डल में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस मण्डल में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगाः

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के मण्डलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन मण्डलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि मण्डलों में अनुसूचित जातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक मण्डल हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(दो) अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सिहत अनुसूचित जनजातियों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में मण्डलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी मण्डल में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस मण्डल में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसािक उक्त मण्डल के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो:

परन्तु यह कि यदि किसी मण्डल में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस मण्डल में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा:

परन्तु यह और कि राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के मण्डलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन मण्डलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि मण्डलों में अनुसूचित जनजातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक मण्डल हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेत् अवशिष्ट हो।

(तीन) पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सिहत पिछड़े वर्गों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (दो) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में मण्डलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी मण्डल में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस मण्डल में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त मण्डल के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों का अनुपात उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो :

परन्तु यह कि यदि किसी मण्डल में पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस मण्डल में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के मण्डलों के मध्य आवंटित किये जाने हेत् शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन उन मण्डलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि मण्डलों में पिछड़े वर्गों के पदों का ऐसा आवंटन एक मण्डल हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

- (घ) उपखण्ड (ख) के अध्यधीन किसी मण्डल की नगरपालिका परिषदों के लिए उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित अध्यक्षों के पदों की संख्या का आवंटन मण्डल में विभिन्न नगरपालिका परिषदों के लिए इस प्रकार किया जायेगा कि —
- (एक) किसी मण्डल की नगरपालिका परिषदें, उक्त मण्डल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखी जायेंगी और अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित सीटों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ग) के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा, जिनकी मण्डल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगरपालिका परिषदें प्रथमतः अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(दो) तत्पश्चात् इस उपखण्ड के मद (एक) के अधीन आरक्षित की गई नगरपालिका परिषदों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगरपालिका परिषदों को मण्डल में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, अनुसूचित जनजातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ग) के मद (दो) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा, जिनकी मण्डल में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगरपालिका परिषदें प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(तीन) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) और (दो) के अधीन आरक्षित की गई नगरपालिका परिषदों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगरपालिका परिषदों को मण्डल में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, पिछड़े वर्गों हेतु उक्त उपखण्ड (ग) के मद (तीन) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा, जिनकी मण्डल में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो:

परन्तु यह कि ऐसी नगरपालिका परिषदें प्रथमतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(चार) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक), (दो), और (तीन) के अधीन आरक्षित की गई नगरपालिका परिषदों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगरपालिका परिषदों को मण्डल में नगरपालिका परिषदों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या को अपवर्जित करते हुए, उपखण्ड (ख) के मद (चार) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन मण्डल में ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के मद(एक), (दो) और (तीन) के प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषदें उस रीति से अवरोही क्रम में रखी जायेंगी कि मण्डल में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाली नगर पालिका परिषद् प्रथम स्थान पर रखी जायेगी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वाली नगर पालिका परिषद् प्रथम नगर पालिका परिषद के पश्चात् अगले स्थान पर रखी जायेंगी तथा इसी प्रकार

से आगे रखी जायेंगी और इस उपखण्ड के मद (चार) के प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषदें मण्डल में नगरपालिका परिषदों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसी रीति से रखी जायेंगी;

- (ङ) राज्य की नगर पंचायतों के संबंध में:--
- (एक) अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों के पदों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन किसी इकाई के रूप में जिलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी जिला में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस जिला में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त जिला के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो:

परन्तु यह कि यदि किसी जिला में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस जिला में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा:

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के जिलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन जिलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि जिलों में अनुसूचित जातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक जिला हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(दो) अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जनजातियों के पदों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में जिलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी जिला में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात उस जिला में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त जिला के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो:

परन्तु यह कि यदि किसी जिला में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस जिला में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के जिलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन जिलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि जिलों में अनुसूचित जनजातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक जिला हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा, और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(तीन) पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित पिछड़े वर्गों के पदों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (दो) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में जिलों में इस रीति से किया जायेगा

कि किसी जिला में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस जिला में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त जिला के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों का अनुपात उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो:

परन्तु यह कि यदि किसी जिला में पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस जिला में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगाः

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य जिलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन उन जिलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि जिलों में पिछड़े वर्गों के पदों का ऐसा आवंटन एक जिला हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा ; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

- (च) उपखण्ड (ख) के अध्यधीन किसी जिला की नगर पंचायतों के लिए उपखण्ड (इ) के अधीन अवधारित अध्यक्षों के पदों की संख्या का आवंटन जिला में विभिन्न नगर पंचायतों के लिए इस प्रकार किया जायेगा कि—
- (एक) किसी जिला की नगर पंचायतें, उक्त जिला में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखी जायेंगी और अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ड़) के अधीन अवधारित सीटों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ड़) के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा, जिनकी जिला में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगर पंचायतें प्रथमतः अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(दो) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) के अधीन आरक्षित की गईं नगर पंचायतों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर पंचायतों को जिला में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ङ) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, अनुसूचित जनजातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ङ) के मद (दो) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा, जिनकी जिला में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो:

परन्तु यह कि ऐसी नगर पंचायतें प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी;

(तीन) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) और (दो) के अधीन आरक्षित की गई नगर पंचायतों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर पंचायतों को जिला में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (इ) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, पिछड़े वर्गों हेतु उक्त उपखण्ड (इ) के मद (तीन) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा, जिनकी जिला में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो:

परन्तु यह कि ऐसी नगर पंचायतें प्रथमतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(चार) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक), (दो), और (तीन) के अधीन आरक्षित की गई नगर पंचायतों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर पंचायतों को जिला में नगर पंचायतों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या को अपवर्जित करते हुए, उपखण्ड (ख) के, मद (चार) में

अवधारित पदों की संख्या का आवंटन जिला में ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा :

स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के प्रयोजनार्थ नगर पंचायतें उस रीति से अवरोही क्रम में रखी जायेंगी कि जिला में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाली नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रखी जायेगी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वाली नगर पंचायत प्रथम नगर पंचायत के पश्चात् अगले स्थान पर रखी जायेंगी तथा इसी प्रकार से आगे रखी जायेंगी और इस उपखण्ड के मद (चार) के प्रयोजनार्थ नगर पंचायतें, जिला में नगर पंचायतों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसी रीति से रखी जायेंगी:

- (छ) किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडे वर्गों की जनसंख्या के आधार पर—
- (एक) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिये या अनुसूचित जनजातियों के लिये या पिछड़े वर्गों के लिये केवल एक पद आरक्षित किया जा सकता है, तो ऐसा पद महिला के लिए आवंटित किया जायेगा।
- (दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिये कोई पद आरक्षित नहीं किया जा सकेगा, तो उपखण्ड (घ) या (च) में निर्दिष्ट पद आवंटन आदेश का पालन इस प्रकार किया जायेगा मानों यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछडे वर्गों हेत् इसमें कोई निर्देश न हो।
- (ज) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों, अथवा महिलाओं हेतु किसी निर्वाचन में आवंटित यथास्थिति नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों वाले मण्डल / जिले, अगले अनुवर्ती निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए आवंटित नही किये जायेंगे और यथास्थिति किसी मण्डल या जिलों में नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के लिए पद अनुवर्ती निर्वाचनों में क्रमशः उपखण्ड (घ) और (च) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—एक—एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखण्ड में आने वाले शब्द "कोई निर्वाचन" और "अनुवर्ती निर्वाचन" उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2023) को प्रख्यापित किये जाने से पूर्व कराये गये निर्वाचनों में सिम्मिलित नहीं होंगे और उनमें कभी भी सिम्मिलित न हुये समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण—दो— किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुये भी, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2023) को प्रख्यापित किये जाने के पूर्व कराये गये निर्वाचन, इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात "कोई निर्वाचन" नहीं समझे जायेंगे और तदनुसार इस धारा के अधीन कराये जाने वाले अगले निर्वाचन अनुवर्ती निर्वाचन के रूप में नहीं समझे जायेंगे।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

3-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में, धारा ७ की उपधारा (5) में :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 7 का संशोधन

- (क) खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में, मद (दो) के पश्चात निम्नलिखित मद बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:—
- "(तीन) महिलाओं हेतु मद (दो) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या को सिम्मिलित करते हुये राज्य में कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी और ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है, तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी ;"
 - (ख) खण्ड 1 का उपखण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा,
- (ग) खण्ड 1 के उपखण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:—

- "(घ) उपखण्ड (ख) के अध्यधीन राज्य के नगर निगमों के लिए उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित महापौरों के पदों की संख्या का आवंटन राज्य के विभिन्न नगर निगमों के लिए इस प्रकार किया जायेगा कि—
- (एक) राज्य के नगर निगम प्रथमतः राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखे जायेंगे और अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उक्त उप खण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उक्त उपखण्ड के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आंवटन ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा, जिनकी राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिये आंवटित किये जायेंगे :

(दो) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, अनुसूचित जनजातियों हेतु उक्त उपखण्ड मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आंवटन ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा, जिनकी राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आवंटित किये जायेंगे ;

(तीन) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) और मद (दो) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, पिछड़े वर्गों हेतु उक्त उपखण्ड के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसे नगर निगमों के लिए किया जायेगा, जिनकी राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो:

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आवंटित किये जायेंगे;

(चार) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में नगर निगमों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के मद (दो) में अवधारित पदों की संख्या को अपवर्जित करते हुए उपखण्ड (ख) के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन राज्य में ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के प्रयोजनार्थ नगर निगम, उस रीति से अवरोही क्रम में रखे जायेंगे कि राज्य में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाले नगर निगम प्रथम स्थान पर रखे जायेंगे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वाले नगर निगम, प्रथम नगर निगम के पश्चात् अगले स्थान पर रखे जायेंगे तथा इसी प्रकार से आगे रखे जायेंगे और इस उपखण्ड के मद (चार) के प्रयोजनार्थ नगर निगम, राज्य में नगर निगमों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसी रीति से रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण— दो— एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखण्ड में आने वाले शब्द 'राज्य के नगरीय क्षेत्र'' का तात्पर्य समस्त नगर निगमों के नगरीय क्षेत्रों से है और उनमें वे सम्मिलित हैं।"

- (घ) खण्ड 1 के उपखण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—
- "(च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए किसी निर्वाचन में आवंटित किये गये नगर निगमों के महापौर के पद

क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए आवंटित नहीं किये जायेंगे और राज्य में नगर निगमों के महापौरों के पद अनुवर्ती निर्वाचनों में उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार चक्रानृक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण-एक-एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) और इस अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द "पूर्व निर्वाचन" और "अनुवर्ती निर्वाचन" उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रख्यापित किये जाने से पूर्व कराये गये निर्वाचनों में सम्मिलित नहीं होंगे और उनमें कभी भी सम्मिलित न किये गये समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण—दो—िकसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुये भी एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रख्यापित किये जाने के पूर्व कराये गये निर्वाचन, इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात "पूर्व निर्वाचन" के रूप में नहीं समझे जायेंगे और तद्नुसार इस धारा के अधीन कराये जाने वाले अगले निर्वाचन अनुवर्ती निर्वाचन के रूप में नहीं समझे जायेंगे।"

अध्याय—चार निरसन और व्यावृत्ति

निरसन और व्यावृत्ति

4 (1) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधो के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधो के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

नगर पालिकाओं से संबंधित विधि को समेमित और संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश कतिपय नगरों के लिए नगर निगम की स्थापना का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 अधिनियमित किया गया है।

वर्ष 2017 में राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन कराये गये थे। तत्समय 653 नगर निकाय अस्तित्व में थे, जिसमें 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद तथा 438 नगर पंचायत सम्मिलित थीं। वर्ष 2019 एवं वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा नये नगर निकायों का सृजन किया गया तथा कतिपय निकायों को विलीन एवं उन्नत किया गया जिसके फलस्वरूप वर्तमान में कुल 762 नगरीय निकाय हैं जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद् तथा 545 नगर पंचायत सम्मिलित हैं। सामान्य निर्वाचन वर्ष 2017 में निर्वाचित नगर निकाय के अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण राज्य के समस्त नगर निकायों का सामान्य निर्वाचन यथाशीघ्र कराये जाने की सांविधानिक बाध्यता थी।

रिट याचिका संख्या 356/1994, के० कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ; रिट याचिका संख्या 980/2019, विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और रिट याचिका संख्या 278/2022, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों में यथा प्रदत्त आदेश के क्रम में आरक्षण के प्रयोजनार्थ नगरीय स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की विवक्षा और समसामयिक कठोर, अनुभवजन्य प्रकृति की जाँच द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 4032/9–1–2022–6–निर्वा–22, दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 द्वारा ''उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग'' का गठन किया। समर्पित आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में राज्य की नगरीय स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान

करने के लिए आरक्षण के अवधारण की प्रक्रिया में परिवर्तन करने की सिफारिश की थी ताकि आरक्षण राज्य के प्रत्येक जिले और मंडल में समान रूप से वितरित किया जा सके।

आयोग की सिफारिशों एवं सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं में आवश्यक परिवर्तन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, 2023) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

> ए० के० शर्मा मंत्री, नगर विकास विभाग।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियमों की संगत घाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916

धारा 9-क (5)

नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत के अध्यक्ष के पद निम्नलिखित बतायी गयी रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिए आरक्षित एवं आवंटित किया जायेगा :—

- (1) अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन—(क) इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण एवं आवंटन एतस्मिनपश्चात् उपबन्धित रीति से नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए पृथक रूप से किया जायेगा;
 - (ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या-
- (i) अनसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह राज्य में पदों की कुल संख्या के यथाशक्त निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के ओश से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी:

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ii) उपधारा (3) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जैसा विषय हो पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए पदों की संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी और यदि उस संख्या में पदों का अवधारण करने में शेष रह जाता है तो भागफल को एक से बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार पहुंची गयी संख्या, जैसा विषय हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए उतनी संख्या में पदों को आरक्षित किया जायेगा:

- (ग) राज्य के सभी नगरपालिका परिषद और नगर पंचायतों को ऐसे क्रम संख्या में क्रमबद्ध किया जायेगा कि नगरपालिका परिषद अथवा नगर पंचायतों जिनमें राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, को क्रम संख्या 1 पर रखा जायेगा और उनसे कम अनूसूचित जातियों की जनसंख्या रखने वाले नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को क्रम संख्या 2 पर रखा जायेगा और शेष को उसी प्रकार से क्रमशः उत्तरोत्तर स्थान पर रखा जायेगा;
- (घ) उपखण्ड (ख) के मद (ii) के अध्यधीन राज्य के नगरपालिका परिषदों अथवा नगर पंचायतों के लिए उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित अध्यक्षों के पदों की संख्या राज्य में भिन्न नगरपालिका परिषदों अथवा जैसा विषय हो नगर पंचायतों को ऐसी रीति से आवंटित किया जायेगा कि.—
- (i) अनूसूचित जातियों की स्त्रियों के लिए उक्त उपखण्ड के मद (ii) के अधीन अवधारित पदों की संख्या समेत अनुसूचित जातियों के पदो के लिए उपखण्ड (ख) के मद (i) के अधीन अवधारित पदों की संख्या अनुसूचित जातियों को उपखण्ड (ग) के अधीन आगे क्रम संख्या 1 पर रखे गये नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत को आवंटित की जायेगी:

परन्तु यह कि उस नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायतों को पहले अनुसूचित जातियों की स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा ;

(ii) अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए उक्त उपखण्ड के मद (ii) के अधीन अवधारित पदों की संख्या समेत अनुसूचित जनजातियों के पदो के लिए उपखण्ड (ख) के मद (i) के अधीन अवधारित पदों की संख्या मद (i) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रम संख्या के आगे क्रमानुसार अनुसूचित जनजातियों को आवंटित की जायेगी:

परन्तु यह कि ऐसे नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों को पहले आवंटित किये जाएंगे ;

(iii) पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये उक्त उपखण्ड के मद (ii) के अधीन अवधारित पदों की संख्या समेत पिछड़े वर्गों के पदों के लिए उपखण्ड (ख) के मद (i) के अधीन अवधारित पदों की संख्या मद (ii) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रम संख्या के आगे क्रमानुसार पिछड़े वर्गों को आवंटित की जायेगी:

परन्तु यह कि ऐसे नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत पहले पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित की जायेगी ;

- (iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए उक्त उपखण्ड के अधीन अवधारित पदों को छोड़कर उपखण्ड (ख) के मद (ii) के अधीन अवधारित पदों की संख्या मद (iii) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रम संख्या के आगे क्रमानुसार स्त्रियों को आवंटित की जायेगी।
- (ङ) यदि किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की संख्या के आधार पर,—
- (i) अनुसूचित जातियों के लिए अथवा जेसा विषय हो अनुसूचित जनजातियों के लिए केवल एक ही पद आरक्षित किया जा सकता था तो वह पद स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा;
- (ii) अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई पद आरक्षित न किया जा सकता हो उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट पदों के आवंटन के क्रम का उसी प्रकार से दृढ़तापूर्वक पालन किया जायेगा मानों अनुसूचित जातियों के लिए अथवा जैसा विषय हो अनुसूचित जनजातियों के लिए उसमें कोई निर्देश नहीं है।
- (च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों के लिए किसी भी पूर्व चुनाव में आवंटित पद क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों के लिए पश्चातवर्ती चुनाव में आवंटित नहीं किये जायेंगे और उस पश्चातवर्ती चुनाव में पदों को चक्रानुक्रम में उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट क्रम में पूर्व चुनाव में स्त्रियों को आवंटित आगे से अन्तिम पद तक क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः—(एक)—एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) में और अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द ''पूर्ववर्ती निर्वाचन'' और ''पश्चातवर्ती निर्वाचन''

में उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का उ०प्र० अधिनियम संख्या 3) और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इआ निर्वाचन सम्मिलित नहीं होंगे और वे कभी भी सम्मिलित नहीं किए गए समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :— (दो)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का उ०प्र० अध्यादेश संख्या 3) के निरसन और उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का उ०प्र० अधिनियम संख्या 5) द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय अधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुए भी, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात 'पूर्ववर्ती निर्वाचन'' नहीं समझे जाएंगे और इस धारा के अधीन होने वाले आगामी निर्वाचन तद्नुसार ''पश्चातवर्ती निर्वाचन'' नहीं समझे जाएंगे।

- (3) आवंटन आदेश (क) पूर्वगामी खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार अनुसूचित जितयों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जोन वाले पदों की संख्या का अवधारण करके गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा पदों को नगरपालिकाओं को आवंटित करेगी।
- (ख) उपखण्ड (क) के अधीन आदेश का प्रारूप आपित्तयों के लिए कम—से—कम सात दिन की अवधि के लिए प्रकाशित किया जायेगा;
- (ग) राज्य सरकार आपित्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी लेकिन उन आपित्तियों पर व्यक्तिशः सुनवाई करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार ने ऐसा करना आवश्यक न समझा हो और तत्पश्चात् वह अन्तिम हो गया हो;
- (घ) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक प्रसार रखने वाले कम—से—कम एक दैनिक समाचार—पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और उसे जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बिन्धित नगरपालिका के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।
- (6) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्षों की सीटों तथा पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अविध के समाप्त होने पर प्रभाव रखना बन्द कर देगा।

स्पष्टीकरण :— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कही गयी कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों तथा स्त्रियों को अनारक्षित सीटों तथा पदों के लिए चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959

धारा 7 (5)(1)

- (ग) राज्य के सभी नगर निगमों को ऐसे क्रम में रखा जायेगा कि राज्य में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या के प्रतिशत वाले नगर निगम को क्रमांक—1 पर रखा जायेगा और इस क्रमांक की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले नगर निगम को क्रमांक—2 पर तथा शेष को क्रमशः इसी प्रकार अगले क्रमांकों पर रखा जायेगा;
- (घ) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगमों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि (एक) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनूसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनूसूचित जातियों के लिए अवधारित पद अनुसूचित जातियों को उपखण्ड (ग) के अधीन क्रमांक—1 पर रखे गये नगर निगम से आगे के क्रम में आवंटित किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंति किये जायेंगे।

(दो) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनूसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पद अनुसूचित जनजातियों को मद (एक) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंति किये जायेंगे:

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित पद, पिछड़े वर्गों को मद (दो) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमान्सार आवंटित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

- (चार) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त उपखण्ड के अधीन अवधारित पदों को मद (तीन) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे क्रमांक से क्रमानुसार महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।
- (च) किसी परवर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित पद किसी पश्चात निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित नहीं किये जायेंगे और ऐसे पश्चातवर्ती निर्वाचन में उसे महिलाओं को आवंटित अन्तिम पद के आगे के पद क्रमानुसार उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

'स्पष्टीकरण :— (एक)—एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) में और इस अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द ''पूर्ववर्ती निर्वाचन'' और ''पश्चातवर्ती निर्वाचन'' में उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2006) और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन सम्मिलित नहीं होंगे और वे कभी भी सम्मिलित नहीं किये गये समझे जायेंगे।''

"स्पष्टीकरण :— (दो)—उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2006) के निरसन और उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2006) द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय अधिकारण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुए भी, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश और उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात "पूर्ववर्ती निर्वाचन" नहीं समझे जायेंगे और इस धारा के अधीन होने वाले आगामी निर्वाचन "पश्चातवर्ती निर्वाचन" नहीं समझे जायेंगे।"

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1031/XC-1014(003)-2-2023 Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Naagar Sthaneeya Swayatt Shasan Vidhi (Sanshodhan), Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) BILL, 2023

A BILL

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER- I Preliminary

Short title and extant and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2023.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.
 - (3) It shall be deemed to have come into force on March 29, 2023.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916

Amendment of section 9-A of U.P. Act no. 2 of 1916

- 2 In the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, *for* sub-section (5) of section 9-A, the following sub-section shall be *substituted*, namely:-
- "(5) The office of the President of the Municipal Councils and Nagar Panchayat shall be reserved and allotted for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and women, in the manner given below:-
- (1) Reservation and allotment of offices of the President (a) The reservation and allotment of offices of the President under this sub- section, shall be done separately for the Municipal Councils and Nagar Panchayats in the manner hereinafter provided.
 - (b) The number of offices to be reserved, -
 - (i) for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes shall be determined in the manner that it shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of offices in the State as the population of the Scheduled Castes in the urban area of the State, or of the Scheduled Tribes in the urban area of the State, bears to the total population of such area in the State and if in determining such number of offices, there comes a remainder then, if it is half or less than half of the divisor, it shall be ignored and if it is more than half of the divisor, the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall be the number of offices to be reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be;

(ii) for the Backward Classes shall be determined in the manner that it shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of offices in the State as the population of the Backward Classes in the urban areas of the State bears to the total population of such area in the State and if in determining such number of offices, there comes a remainder then it shall be ignored and the number so arrived at, shall be the number of offices to be reserved for the Backward Classes:

Provided that the number of offices to be reserved for the backward classes under this clause shall not be more than twenty-seven per cent of the total number of offices in the State;

- (iii) for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes, as the case may be, under sub-section (3) shall not be less than one-third of the number of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for the Backward Classes and if in determining such number of offices there comes a remainder then the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall be the number of offices to be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, as the case may be;
- (iv) for the women, shall not be less than one-third of the total number of offices in the State *including* the number of offices reserved under item (iii) and if in determining such number of offices, there comes a remainder then the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall, be the number of offices to be reserved for the women.

Explanation- It is hereby clarified that the words "urban area of the State" as occurring in this sub-clause, shall mean and shall be deemed to include, the urban area of all the Municipal Councils or the urban area of all the Nagar Panchayats, as the case may be.

- (c)In case of the Municipal Councils of the State:-
- (i) the number of offices determined under item number (i) of sub-clause (b) for the Scheduled Castes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Scheduled Castes shall be distributed into Divisions as a unit in such manner that the proportion of offices reserved for Scheduled Castes in a Division shall bear the same proportion to the total number of offices in that Division as the population of Scheduled Castes in the urban areas of the Division bear to the total urban population of the Division:

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Scheduled Castes to the total number of offices in a Division exceeds the proportion of total number of offices reserved for Scheduled Castes to the total number of offices at the State level, such allotment of the offices in that Division would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Scheduled Castes at the State level remains to be distributed amongst the Divisions of the State, such offices shall be distributed in those Divisions, in descending order, whose proportion of Schedule Caste population to the total urban population of the Division is more than the proportion of Scheduled Castes population in the urban area of the State bear to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Scheduled Castes in the Divisions shall be done one office at a time to one Division; and this cycle shall continue till no such office remains to be distributed;

(ii) the number of offices determined under item number (i) of sub-clause (b) for the Scheduled Tribes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Scheduled Tribes shall be distributed into Divisions as unit in such manner that the proportion of offices reserved for Scheduled Tribes in a Division shall bear the same proportion to the total number of offices in that Division as the population of Scheduled Tribes in the urban area of the Division bear to the total urban population of the Division:

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Scheduled Tribes to the total number of offices in a Division exceeds the proportion of total number of offices reserved for Scheduled Tribes to the total number of offices at the State level, such allotment of the offices in that Division would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Scheduled Tribes at the State level remains to be distributed amongst the Divisions of the State, such offices will be distributed in those Divisions, in descending order, whose proportion of Scheduled Tribes population to the total urban population of the Division, is more than the proportion of Scheduled Tribes population in the urban area of the State bears to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Scheduled Tribes in the Divisions shall be done, one office at a time to one Division; and this cycle shall continue till no such office remains to be distributed;

(iii) the number of offices determined under item number (ii) of sub-clause (b) for the Backward Classes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Backward Class shall be distributed into Divisions as unit in such manner that the proportion of offices reserved for Backward Classes in a Division shall bear the same proportion to the total number of offices in that Division, as the population of Backward Classes in the urban areas of the Division bear to the total urban population of the Division:

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Backward Classes to the total number of offices in a Division exceeds the proportions of total number of offices reserved for Backward Classes to the total number of offices at the State level such allotment of the offices in that Division would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Backward Classes at the State level remains to be distributed amongst the Divisions of the State, such offices shall be distributed in those Divisions, in descending order, whose proportion of Backward Class population to the total urban population of the Division is more than the proportion of Backward Class population in the urban area of the State bear to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Backward Classes in the Divisions shall be done one office at a time to one Division; and this cycle shall continue till no such office remains to be distributed.

(d)Subject to sub-clause(b)the number of offices of the Presidents determined under sub-clause (c) for Municipal Councils of a Division shall be allotted to different Municipal Councils in the Division, in the manner that,—

(i) the Municipal Councils of a Division shall be first arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Castes in the Division in descending order and the number of offices determined in item (i) of sub-clause (c) for the Scheduled Castes including the number of seats determined under the said sub-clause for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such Municipal Councils which have the largest percentage of population of the Scheduled Castes in the Division:

Provided that such Municipal Councils shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Castes;

(ii) the Municipal Councils, excluding those which have been reserved under the item (i) of this sub-clause, shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Tribes in the Division, in descending order and the number of offices determined in item (ii) of sub-clause (c) for the Scheduled Tribes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such Municipal Councils which have the largest percentage of population of the Scheduled Tribes in the Division:

Provided that such Municipal Councils shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes;

(iii) the Municipal Councils, excluding those which have been reserved under the item (i) and (ii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Backward Classes in the Division, in descending order and the number of offices determined in item (iii) of sub-clause (c) for the Backward Classes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Backward Classes, shall be allotted to such Municipal Councils which have the largest percentage of population of the Backward Classes in the Division:

Provided that such Municipal Councils shall be first allotted to the women belonging to the Backward Classes;

(iv) the Municipal Councils, excluding those which have been reserved under the item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the population of the Municipal Councils in the Division, in descending order and the number of offices determined in item (iv) of sub-clause (b) excluding the number of offices determined under the item (iii) of sub-clause (b) for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, shall be allotted to such Municipal Councils in the Division:

Explanation- For the purposes of item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause the arrangement of Municipal Councils in descending order shall be done in the manner that the Municipal Council having the largest percentage of population of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be, in the Division shall be placed first and Municipal Council having lesser percentage of population of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of item (iv) of this sub-clause the Municipal Councils shall be arranged in the like manner, keeping in view the population of the Municipal Councils in the Division:

(e)In case of the Nagar Panchayats of the State:-

(i) the number of offices determined under item number (i) of sub-clause (b) for the offices of Scheduled Castes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Scheduled Castes shall be distributed into Districts as unit in such manner that the proportion of offices reserved for Scheduled Castes in a District shall bear the same proportion to the total number of offices in that District as the population of Scheduled Castes in the urban area of the District bear to the total urban population of the District:

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Scheduled Castes to the total number of offices in a District exceeds the proportion of total number of offices reserved for Scheduled Castes to the total number of offices at the State level, such allotment of offices in that District would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Scheduled Castes at the State level remains to be distributed amongst the Districts of the State, such offices will be distributed in those Districts in descending order, whose proportion of Scheduled Caste population to the total urban population of the District is more than the proportion of Scheduled Caste population in the urban area of the State bear to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Scheduled Castes in the Districts shall be done one office at a time to one District; and this cycle shall continue till no such office remains to be distributed.

(ii) the number of offices determined under item number (i) of sub-clause (b) for the offices of Scheduled Tribes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Scheduled Tribes shall be distributed into Districts as unit in such manner that the proportion offices reserved for Scheduled Tribes in a District shall bears the same proportion to the total number of offices in that District as the population of Scheduled Tribes in the urban area of the District bears to the total urban population of the District:

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Scheduled Tribes to the total number of offices in a District exceeds the proportion of total number of offices reserved for Scheduled Tribes to the total number of offices at the State level, such allotment of offices in that District would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Scheduled Tribes at the State level remains to be distributed amongst the District of the State, such offices shall be distributed in those Districts in descending order whose proportion of Scheduled Tribes population to the total urban population of the District is more than the proportion of Scheduled Tribes population in the urban area of the State bear to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Scheduled Tribes in the Districts shall be done one office at a time to one District; and this cycle shall continue till no such office remains to be distributed.

(iii) the number of offices determined under item number (ii) of sub-clause (b) for the offices of Backward Classes including the number of offices determined under item (iii) of the said sub-clause for the women belonging to Backward Classes shall be distributed into Districts as unit in such manner that the proportion of offices reserved for Backward Classes in the District shall bear the same proportion to the total number of offices in that District as the population of a Backward Class in the urban areas of the District bears to the total urban population of the District:

Provided that if the proportion of offices determined in such manner for Backward Classes to the total number of offices in a District exceeds the proportion of total number of offices reserved for Backward Classes to the total number of offices at the State level such allotment of offices in that District would be restricted to the extent of that proportion:

Provided further that if the total number of offices determined for Backward Classes at the State level remains to be distributed amongst the Districts of the State, such offices shall be distributed in those Districts in descending order, whose proportion of Backward Class population to the total urban population of the District is more than the proportion of Backward Class population in the urban area of the State bears to the total urban population of the State:

Provided also that such distribution of offices of Backward Classes in the Districts shall be done one office at a time to one District; and this cycle will continue till no such office remains to be distributed.

Subject to sub-clause (b) the number of offices of the Presidents determined under sub-clause (e) for Nagar Panchayats of a District shall be allotted to different Nagar Panchayats in the District, in the manner that, –

(i) the Nagar Panchayat of a District shall be first arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Castes in the District in descending order and the number of offices determined in item (i) of sub-clause (e) for the Scheduled Castes including the number of seats determined under the said sub-clause for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such Nagar Panchayat which have the largest percentage of population of the Scheduled Castes in the District:

Provided that such Nagar Panchayat shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Castes;

(ii) the Nagar Panchayat, excluding those which have been reserved under the item (i) of this sub-clause, shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Tribes in the District, in descending order and the number of offices determined in item (ii) of sub-clause (e) for the Scheduled Tribes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such Nagar Panchayat which have the largest percentage of population of the Scheduled Tribes in the District:

Provided that such Nagar Panchayat shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes;

(iii) the Nagar Panchayat, excluding those which have been reserved under the item (i) and (ii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Backward Classes in the District, in descending order and the number of offices determined in item (iii) of sub-clause (e) for the Backward Classes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Backward Classes, shall be allotted to such Nagar Panchayat which have the largest percentage of population of the Backward Classes in the District:

Provided that such Nagar Panchayat shall be first allotted to the women belonging to the Backward Classes;

(iv) the Nagar Panchayat, excluding those which have been reserved under the item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the population of the Nagar Panchayat in the District, in descending order and the number of offices determined in item (iv) of sub-clause (b) excluding the number of offices determined under the item (iii) of sub-clause (b) for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, shall be allotted to such Nagar Panchayat in the District:

Explanation- For the purposes of item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause the arrangement of Nagar Panchayat in descending order shall be done in the manner that the Nagar Panchayat having the largest percentage of population of the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be, in the District shall be placed first and Nagar Panchayat having lesser percentage of population of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of item (iv) of this subclause the Nagar Panchayat shall be arranged in the like manner, keeping in view the population of the Nagar Panchayat in the District.

- (g) If on the basis of the population of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes in a Municipal Council or Nagar Panchayat –
- (i) only one office could be reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes or for the Backward Classes, as the case may be, such office shall be allotted to the women.
- (ii) no office could be reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes or for the Backward Classes, the order of allotment of offices referred in sub-clause (d) or (f) shall be so adhered to as if there is no reference in it to the Scheduled Castes or to the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be.
- (h) The Divisions/Districts wherein the offices of the Presidents of Municipal Councils or Nagar Panchayats, as the case may be allotted in any election to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, or the women shall not be allotted in the next following election respectively to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes or the women and the offices to the Municipal Councils or Nagar Panchayats in a Division or Districts as the case may be, shall be allotted in the subsequent elections, in the cyclic order in the order referred to in sub-clauses (d) and (f) respectively.

Explanation-I It is hereby clarified that the words "any election" and "subsequent election" as occurring in this sub-clause, shall not include and shall be deemed to have never included the elections held, before promulgation of the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 3 of 2023)

Explanation-II Notwithstanding any judgment, order or decree of any Court. Tribunal or Authority it is hereby declared that elections held before promulgation of the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 3 of 2023), shall not be deemed to be the "any election" as contemplated under this sub-section and the next elections to be held under this section accordingly shall not be deemed to be subsequent election."

CHAPTER- III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1959

- 3. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, in sub-section (5) of Section 7:-
- Amendment of Section 7 of U.P. Act no. 2 of 1959
 - (a) in sub-clause (b) of clause 1 after item (ii) the following item shall be *inserted*, namely:—
 - "(iii) for the women shall not be less than one-third of the total number of offices in the State including the number of offices reserved under item (ii) and if in determining such number of offices, there comes a remainder then the quotient shall be increased by one and the number so arrived at shall, be the number of offices to be reserved for the women;"
 - (b) sub-clause (c) of clause 1 shall be *omitted*;
 - (c) for sub-clause (d) of clause 1 the following sub-clause shall be substituted, namely:-
 - "(d) Subject to sub-clause (b) the number of offices of the Mayors determined under sub-clause (b) for Municipal Corporations of the State offices shall be allotted to different Municipal Corporations in the State, in the manner that, —
 - (i) the Municipal Corporations of the State shall be first arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Castes in the urban area of the State in descending order and the number of offices determined in item (i) of sub-clause (b) for the Scheduled Castes including the number of offices determined under the said sub-clause for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such Municipal Corporations which have the largest percentage of population of the Scheduled Castes in the State:

Provided that such Municipal Corporations shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Castes;

(ii) the Municipal Corporations, excluding those to which offices have been allotted under the item (i) of this sub-clause, shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Scheduled Tribes in the State, in descending order and the number of offices determined in item (i) of sub-clause (b) for the Scheduled Tribes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such Municipal Corporations which have the largest percentage of population of the Scheduled Tribes in the State:

Provided that such Municipal Corporations shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes;

(iii) the Municipal Corporations, excluding those to which offices have been allotted under the item (i) and (ii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the percentage of population of the Backward Classes in the State, in descending order and the number of offices determined in item (i) of sub-clause (b) for the Backward Classes, including the number of offices determined under the said sub-clause for the women, belonging to the Backward Classes, shall be allotted to such Municipal Corporations which have the largest percentage of population of the Backward Classes in the State:

Provided that such Municipal Corporations shall be first allotted to the women belonging to the Backward Classes;

(iv) the Municipal Corporations, excluding those to which offices have been allotted under the item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause shall then be arranged in accordance with the population of the Municipal Corporations in the State, in descending order and the number of offices determined under item (iii) of sub-clause (b) excluding the number of offices determined in item (ii) of sub-clause (b), for the women, shall be allotted to such Municipal Corporations in the State:

Explanation-I For the purposes of item (i), (ii) and (iii) of this sub-clause the arrangement of Municipal Corporations in descending order shall be done in the manner that the Municipal Corporations having the largest percentage of population of the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be, in the State shall be placed first and Municipal Corporations having lesser percentage of population of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of item (iv) of this sub-clause the Municipal Corporations shall be arranged in the like manner, keeping in view the population of the Municipal Corporations of the State.

Explanation-II It is hereby clarified that the words "urban area of the State" as occurring in this sub-clause, shall mean and shall be deemed to include, the urban area of all the Municipal Corporations."

- (d) *for* sub-clause (f) of clause 1, the following sub-clause shall be *substituted*, namely:-
 - "(f) The offices of the Mayors of Municipal Corporation allotted in any election to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, or the women shall not be allotted in the next following elections to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes or the women respectively and the offices of the Mayors of the Municipal Corporations in the State shall be allotted in the subsequent elections, in the cyclic order in the order referred to in sub-clause (d).

Explanation-I It is hereby clarified that the words "previous election" and "subsequent election" as occurring in the sub-clause(f) of this clause and elsewhere in this Act, shall not include and shall be deemed to have never included the elections held, before the promulgation of the Uttar Pradesh Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023.

Explanation-II Notwithstanding any judgment, order or decree of any Court,. Tribunal or Authority it is hereby declared that elections held before the promulgation of the Uttar Pradesh Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 shall not be deemed to be the "previous election" as contemplated under this section and the next elections to be held under this section accordingly shall not be deemed to be subsequent election."

CHAPTER- IV

REPEAL AND SAVING

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no.3 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To consolidate and amend the law relating to Municipalities, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and to provide for the establishment of Municipal Corporation for certain cities in Uttar Pradesh, the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 has been enacted in the State of Uttar Pradesh.

In the year 2017, for the urban local bodies in the State, the General Elections were held. At that time 653 municipal bodies were in existence including 16 Nagar Nigam, 199 Nagar Palika Parishads and 438 nagar Panchayats. In 2019 and 2022, new municipal bodies were created by the State Government and some bodies were merged and upgraded as a result of which presently there are 762 urban bodies including 17 Municipal Corporations, 200 Municipal councils and 545 Nagar Panchayats. Due to the expiry of the tenure of the Chairpersons of the municipal bodies elected in the general election of 2017, there was a constitutional obligation to conduct general elections of all the municipal bodies of the State at the earliest.

The State Government *vide* notification no. 4032/9-1–2022-6-Nirva-22, dated December 28, 2022 had constituted the Uttar Pradesh State Local Bodies Dedicated Backward Classes Commission for identification of backward classes for the purpose of reservation by conducting contemporaneous, rigorous, empirical enquiry into the nature and implications of backwardness in the urban local bodies as mandated by Hon'ble Supreme Court in its judgements in Writ Petition No. 356/1994, K. Krishnamurthy *Vs.* Union of India; Writ Petition No. 980/2019, Vikas Kishan Rao Gawli *Vs.* State of Maharashtra and Writ Petition No. 278/2022, Suresh Mahajan *Vs.* State of Madhya Pradesh. The Dedicated Commission in its report, presented to the State Government had recommended to make changes in procedure for determination of the reservation in order to provide representation to the backward classes in the urban local bodies so that the reservation is equally distributed in each district and division of the State.

In order to implement the recommendations and suggestions of the Commission it was decided to carry out necessary changes in the releant sections of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Municipal Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 (Uttar Pradesh Ordinance no. 3 of 2023) was promulgated by the Governor on March 29, 2023.

The Uttar Pradesh Municipal Local Self-Government Laws (Amedment) Bill, 2023 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

A. K. SHARMA *Mantri, Nagar Vikas*.

> By order, J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यु०पी०-ए०पी० ४९४ राजपत्र-2023-(1624)-599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्युटर / टी० / ऑफसेट)।